संoसंo–14 / विविध–36 / 2016(II)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

1548(14)
29/5/2026

संकल्प

विषयः– बिहार विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित / अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों तथा उनके आश्रित / राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों / कर्मियों (माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पदाधिकारियों / कर्मियों सहित) एवं उनके आश्रित / सेवानिवृत्त पेंशनधारी राज्य कर्मी (पति–पत्नी) तथा पारिवारिक पेंशनर को बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अंतर्वासी चिकित्सा हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा बिहार विधान मंडल के सदस्यों एवं उनके आश्रित सदस्यों / पूर्व सदस्य (पति–पत्नी) / अखिल भारतीय सेवा के सेवारत / सेवानिवृत पदाधिकारियो एवं उनके आश्रित तथा पारिवारिक पेंशनरों / राज्य सरकार के सभी नियमित सरकारी पदाधिकारियों / कर्मियों (माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पदाधिकारियों / कर्मियों सहित) एवं उनके आश्रित सदस्यो की अंतर्वासी चिकित्सा पर हुए व्यय राशि की प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न संकल्पों / परिपत्रों के प्रावधानानुसार की जाती है।

2. राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं पेंशनरों (माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पदाधिकारियों / कर्मियों सहित) को प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता के रूप में 1000 / – (एक हजार) रूपया प्रदान किया जाता है।

3. वर्त्तमान में राज्य सरकार के सरकारी कर्मियों (माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पदाधिकारियों / कर्मियों सहित) की संख्या लगभग 7,23,000 (सात लाख तेईस हजार) तथा पेंशनरो की संख्या लगभग 4,74,000 (चार लाख चौहत्तर हजार) आकलित है।

4. राज्य विधानमंडल के वर्त्तमान सदस्यों एवं उनके आश्रित / भूतपूर्व सदस्यों (पति–पत्नी) / अखिल भारतीय सेवा के सेवारत / सेवानिवृत पदाधिकारियों एवं उनके आश्रित / राज्य के नियमित पदाधिकारियों / कर्मियों (माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पदाधिकारियों / कर्मियो सहित) एवं उनके आश्रित सदस्यों की अन्तर्वासी चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में चिकित्सा पर हुए व्यय राशि का भुगतान माननीय सदस्यों / पूर्व सदस्यों एवं राज्य के नियमित पदाधिकारियों / कर्मियों द्वारा अपने स्तर से संबंधित अस्पताल को किया जाता है। चिकित्सोपरांत अस्पताल द्वारा प्राप्त चिकित्सा से संबंधित विपत्रों एवं साक्ष्यों की समीक्षा एवं जॉच विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों द्वारा करते हुए इसकी प्रतिपूर्ति सी०जी०एच०एस० दर पर की जाती है। उक्त प्रक्रिया में अधिक समय लगने की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण लाभार्थी को प्रतिपूर्ति की राशि के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब होती है।

5. चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में अधिक समय लगने तथा विभिन्न असाध्य रोगों की अन्तर्वासी चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में प्राथमिक रूप से बहुत अधिक राशि खर्च होने के कारण उक्त व्यवस्था के सरलीकरंण हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मॉग की जाती रही है। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा में भी राज्य सरकार के कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है।

1548(14)
29/5/2026

E:\Section-14\Vikash\Sanlekh\Cashless\Cashless Sankalp.docx 29-05-2026

6 अन्तर्वासी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सरलीकरण के निमित्त कैशलेस चिकित्सा की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु योजना का स्वरूप निम्नवत् है :–

(i) यह योजना "**बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना**" (BGHS) कही जा सकेगी।

(ii) यह स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति में एक पृथक ईकाई के रूप में कार्य करेगी।

(iii) इस योजना के अधीन लक्षित समूह निम्नवत् होगाः–

(क) बिहार विधान मंडल के वर्तमान एव पूर्व सदस्य तथा उनके आश्रित।

(ख) बिहार राज्य संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं उनके आश्रित/पारिवारिक पेंशनर।

(ग) राज्य सरकार के सेवारत पदाधिकारियों/कर्मियों (माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पदाधिकारियों/कर्मियों सहित) एवं उनके आश्रित/पारिवारिक पेंशनर।

(घ) राज्य के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मियों (माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पदाधिकारियों/कर्मियों सहित) (पति/पत्नी)।

(iv) यह योजना लक्षित समूह के सदस्यों के लिए ऐच्छिक होगी। कालान्तर में उनके द्वारा इस योजना से अलग होने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(v) इस योजना के अधीन लक्षित समूह के सदस्यों को सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचीबद्ध अस्पताल, सी०जी०एच०एस० सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा अधिकतम सी०जी०एच०एस० दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। गैर सी०जी०एच०एस० एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा गैर सूचीबद्ध अस्पतालों में अंतर्वासी चिकित्सा की स्थिति में पूर्व की भांति चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(vi) विपत्र की मूल वास्तविक राशि एवं उक्त चिकित्सा हेतु CGHS की अनुमान्य दर के अंतर का भुगतान संबंधित सदस्य द्वारा किया जायेगा।

(vii) **आई०टी० एवं प्रशासनिक अवसंरचना** :–इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एक उत्कृष्ट कोटि का पोर्टल विकसित किया जाना होगा, जो State Data Centre में संधारित रहेगा। पोर्टल के माध्यम से Cashless Card हेतु सदस्यो का सूचीकरण, अस्पतालों का सूचीबद्ध किया जाना, चिकित्सा दावों का निस्तार, Cashless Card निर्गत किया जाना तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु अन्यान्य घटकों का निष्पादन किया जायेगा।

इस योजना के संचालन हेतु मानव बल् की आवश्यकता का आकलन कर अलग से पद सृजन की कार्रवाई की जाएगी।

(viii) **वित्त पोषणः**–वर्त्तमान में बिहार सरकार के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों (माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पदाधिकारियों/कर्मियों सहित) को प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। इस योजना के अधीन चिकित्सा भत्ता की 90 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी तथा शेष 10 प्रतिशत राशि उन्हें मिलती रहेगी। योजना संचालन हेतु कटौती की राशि इस निमित निर्धारित निधि में संधारित की जायेगी।

सेवानिवृत्त राज्य कर्मी/पदाधिकारियों (माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पदाधिकारियों/कर्मियों सहित) को इस योजना के सदस्य बनने हेतु एक माह की पेंशन की राशि एकमुश्त जमा करनी होगी।

15/18(14)
29/5/2026

(ix) योजना प्रारंभ किये जाने के समय इस योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य स्वास्थ्य योजना के निधि में एक बारगी एकमुश्त रू० 100 करोड की राशि प्रारंभिक निधि के रूप में दी जायेगी।

(x) इस योजना के संचालन हेतु विहित प्रावधान में संशोधन एवं स्पष्टीकरण, अस्पतालों का सूचीकरण, पोर्टल का निर्माण, कैशलेस कार्ड का निर्गमन, चिकित्सा हेतु पैकेज एव दर की अधिसीमा, रोगों का वर्गीकरण, एम्बुलेंस, प्री एण्ड पोस्ट हॉस्पिटलाईजेशन, उक्त आवश्यक तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए योजना के लागू होने की तिथि एवं योजना के अन्य घटकों के संबध में विस्तृत दिशा–निर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से निर्गत किया जा सकेगा।

(xi) द्वितीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियो को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आदेश निर्गत है। उन्हें बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29/5/26

(कुमार रवि)
सचिव।

ज्ञापांक–14/विविध–36/2016(II) 1548(14) **/स्वा०, पटना, दिनांक–** 29/5/2026

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई०–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमत्री सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/सभी निदेशक, आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार (आयुष सहित)/सभी प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, बिहार (आयुष सहित)/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/उपाधीक्षक, दस शैय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी निदेशक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–27 05.2026 के मद संख्या–26 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव